

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p><i>15/7/2020</i></p> <p><i>10/10/2020</i></p> <p><i>10/10/2020</i></p>	<p>15/7/2020 कादी के अधिवक्ता की रघुवीर सिंह शोखाकर उपस्थित। कादी स्वयं उपस्थित। उन्होंने प्रार्थना पत्र आज ही सुनवाई कर वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र विद्धो किये जौन का पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। पक्षकारान के मध्य बाल्मी राजीनामा हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सख्य। लक्ष्मण सिंह का दिनांक 26/10/2019 को स्वर्गवास हो चुका है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में अब कादी वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता है। उपरोक्त वाद पत्र को विद्धो कर कार्यवाही इसी स्थिर पर शेष करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र/एव वाद पत्र विद्धो किये जौन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आज ही विद्धो किये जौन के आदेश पारित परमोन की श्रुत करे। प्रार्थना पत्र वाद पत्र विद्धो किये जौन पर बहस सुनी गई। बहस के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन पया कि कादी ही वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहता है। इस स्थिति में प्रार्थना पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा वाद पत्र पर इसी स्थिति में कार्यवाही शेष कर विद्धो किये जौन के आदेश पारित किये जाते हैं। मामले कुल मुमार होकर नम्बर 66 का है। वाद दफतर दाखिल है।</p>	<p>(मोहनलाल खटनासिका) उपखण्ड अधिकारी मयूरा (अजमेर) राज.</p>

